अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, लखनऊ

संस्कृति विभाग, उ0प्र0

एवं

साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, साँची, रायसेन, मध्य प्रदेश

के मध्य शिक्षण एवं शोध कार्यों के सहयोग हेतु

समझौता ज्ञापन (Memorandum of Understanding)

यह समझौता ज्ञापन अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, साँची, रायसेन मध्य प्रदेश के मध्य आज दिनांक 28 जुलाई, 2022 को निष्पादित किया जा रहा है। इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनो पक्षकारो द्वारा समझौता कार्यक्रम के उद्वेश्य एवं लक्ष्य में सहयोग प्रदान करने हेतु लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके।

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ (भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित बौद्ध विधाओं का राष्ट्रीय सन्दर्भ में अध्ययन तत्संबंधी शोध तथा बौद्ध तीर्थ स्थलों की सांस्कृतिक महत्व की परम्परा एवं आधारभूत मान्यताओं, मानवीय मूल्यों, कला अवशेषों का संरक्षण एवं विश्लेषण संबंधित भारत में उपलब्ध बौद्ध विद्या संबंधित सामग्री का संकलन, शोध कार्य, संबंधित ग्रन्थों का क्रियात्मक अध्ययन, उपलब्ध सामग्री का भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में प्रमाणिक भाषान्तर, भारत और विदेशों में प्राप्त बौद्ध विद्या के तुलनात्मक अध्ययन, उद्देश्यों के अनुरूप परिचर्चा,

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies,
Sanchi, Raisen (M.P.)

चरित्रवाद, परिगोष्ठी, व्याख्यान, सम्मेलन कार्य आदि। बौद्ध धर्म से संबंधित और संदर्भित ग्रन्थों, पाण्डुलिपियों, माइक्रोफिल्मों आदि का पुस्तकालय स्थापित करना, बौद्ध तीर्थ स्थलों के विभिन्न केन्द्रों में भवनों, घाटों, सरोंवरों, कुण्डों और सांस्कृतिक वास्तुकला के महत्व के अन्य स्मारकों/स्थानों का पुर्नस्थापना, सुधार और अनुरक्षण करना, संस्थान के उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए उन सभी कार्यों को सम्पादित करना जो आवश्यक एवं प्रमाणिक हों।)

साँची बौद्ध–भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, साँची, रायसेन मध्य प्रदेश के अंतर्गत

उपरोक्त संस्थान, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिन्दू धर्म तथा इससे संबंधित समस्त अध्ययन व शोध कार्य में अनुसंधान एवं शिक्षा में अपनी ताकत को पहचानने और अपनी परस्पर रुचि में सहयोग हेतु स्वयं को शामिल करने के लिए सहमत है ।

उपरोक्त दोनों पक्षकार शैक्षिक, शोध व अनुसंधान के लिए आपसी हित के क्षेत्र मे एक कार्यक्रम स्थापित करने के लिए सहमत है, जो इस समझौता ज्ञापन में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार होगा।

अनुच्छेद 1 :– कार्यक्रम का उद्वेश्य

कार्यक्रम का उद्वेश्य बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिन्दू धर्म तथा इससे संबंधित समस्त अध्ययन व शोध कार्य में अनुसंधान एवं शिक्षा के अवसर उत्पन्न करना है तथा संभावित उद्वेश्यपूर्ण सहयोग के लिए अन्य मार्ग तलाशना व उनका अनुसरण करना।

अनुच्छेद 2 :– कार्यक्रम का दायरा

कार्यक्रम प्रारम्भ में पांच (05) वर्ष के लिए है ताकि सहयोगात्मक सहयोग दोनों पक्षकारों को परस्पर प्राप्त होते हुए, कार्यक्रम के उद्वेश्यों की प्राप्त हो। तद्उपरांत कार्यक्रम को आपसी सहमति से आगामी तीन (03) वर्ष के लिए लिखित समझौते द्वारा नवीनीकृत किया जाएगा।

कार्यक्रम के प्रमुख अंग निम्न प्रकार से हैः–

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies,
Sanchi, Raisen (M. P.)

- रुचि के विशिष्ट क्षेत्रों में सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रम – अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, साँची, रायसेन, मध्य प्रदेश के संयुक्त रुप से सहयोगी अनुसंधान करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान करेंगे तथा पारस्परिक हित एवं लाभ के कार्यक्रम आयोजित किये जा सकें।
- छात्र विनिमय कार्यक्रम – दोनों पक्षकारों के छात्र विनियम कार्यक्रम का अन्वेषण करना तथा तदानुसार आयोजित करना, जो पारस्परिक रुप से दोनों पक्षकरों के लिए हितकारी हो।
- विनिमय छात्रों का चयन दोनों पक्षकारों द्वारा आपसी सहमति से होगा।
- संकाय विनिमय कार्यकम – दोनों पक्षकारों के संकाय का विनिमय कार्यक्रम का अन्वेषण करना तथा तद्नुसार आयोजित करना, जो पारस्परिक रुप से दोनों पक्षकरों के लिए हितकारी हो।
- अंतः विषय अध्ययन – बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिन्दू धर्म तथा इससे संबंधित समस्त अध्ययन व शोध कार्य में पक्षकार एक–दूसरे से सहयोग व सहायता प्राप्त करेंगे तथा उपरोक्त की गुणवक्ता और प्रासंगिकता में सुधार करना।
- अनुसंधान एवं शैक्षिक कार्यक्रमों पर सूचनाओं का आदान–प्रदान करने के लिए।
- शिक्षण, शिक्षण सामग्री और उनके लिए प्रासंगिक अन्य साहित्यपर जानकारी का आदान–प्रदान करने के लिए तथा शैक्षिक एवं अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए।
- संयुक्त रुप से अल्पकालिक सतत शिक्षा कार्यक्रम आपसी हित के विषयों पर आयोजित करने के लिए तथा इसमें भाग के लिए एक–दूसरे के संकाय को आमंत्रित करने के लिए।
- संयुक्त रुप से संगोष्ठियों, सम्मेलनों या कार्यशालाओं का आयोजन करने के लिए तथा इसमें भाग के लिए एक–दूसरे के संकाय को आमंत्रित करने के लिए।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies,

Sanchi University
एष धर्मः सनातनः

शील समाधि प्रज्ञा

- वित पोषण एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनुसंधान या प्रशिक्षण कार्यक्रमों में संयुक्त रुप से प्रस्तावित करने तथा प्रतिभाग करने के लिए तथा इसमें भाग के लिए एक–दूसरे के संकाय को आमंत्रित करने के लिए।
- विनिमय करने के लिए, एक पारस्परिक आधार पर स्नातक, परास्नातक व शोध स्तर पर छात्रों का शिक्षा और शोध के उद्धेश्य के लिए सीमित समयावधि के लिए चयन।
- अन्य किसी प्रकार का सहयोग, जिसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, साँची, रायसेन, मध्य प्रदेश के मध्य सहमति हो सकती है।

<u>अनुच्छेद 3 :– कार्यक्रम की अवधि</u>

यह ज्ञापन दोनों पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की तिथि से आगामी पांच (05) वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी होगा, जिसको बाद में आपसी सहमति से अगले तीन (03) वर्ष की अवधि के लिए लिखित समझौते द्वारा नवीनीकृत किया जायेगा। यदि इस समझौता ज्ञापन को बिना किसी कारण के समाप्त किया जाना है, तो किसी एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर तीन (03) माह पूर्व नोटिस प्रदान करनी होगी। एक बार समाप्त हो जाने के उपरांत, कोई भी पक्षकार किसी भी प्रकार की वित्तीय हानि के लिए जिम्मेदार नही होंगे।

<u>अनुच्छेद 4 :– विशेष प्रावधान</u>

- दोनों पक्ष एक–दूसरे की शिक्षा पर उपयोगी सूचनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रम, शोध कार्य एवं ऐसी अन्य गतिविधियों का अदान–प्रदान करेंगे।
- दोनों पक्ष सुचारु एवं कुशल कार्यक्रम का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए अपना पूर्ण प्रयास करेंगे।
- दोनों पक्ष आपसी परामर्श के लिए उपलब्ध होने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेंगे तथा उचित रुप से अनुरोध किये जाने पर आवश्यक जानकारी प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

Registrar
Sanchi Univ... Indic Studies,
Sanchi, Raisen (M.P.)

- इस समझौता ज्ञापन में कोई भी संशोधन लिखित रुप में तथा परस्पर सहमत होने पर ही किया जाएगा।
- सभी विवाद जो इस ज्ञापन की व्याख्या तथा क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न होने वालों को आपसी सहमति से बातचीत के माध्यम से सुलझाया जायेगा।
- दोनों पक्षकार एक–दूसरे से कुशल संचार निरन्तर स्थापित करते रहेंगे ताकि कार्यक्रम का कियान्वयन प्रभावी व सुनिश्चित हो सके।
- यह समझौता ज्ञाप भारत सरकार द्वारा स्थापित कानून के अनुसार अधीन होगा।

अनुच्छेद 5 :– समन्वय

प्रत्येक पक्षकार अपनी ओर से अपने शिक्षण/शोध/अनुसंधान संकाय के एक सदस्य को समन्वय के लिए नियुक्त करेगा। इसके अतिरिक्त एक समन्वय समिति, जिसमें शामिल (1)....... ...., (2)........................., (3)......................... एवं (4)......................... दोनो पक्षकारों की ओर से, समय–2 पर समीक्षा करेंगे तथा दोनों संस्थानों के मध्य सहयोग को मजबूत करने के तरीकों की पहचान करेंगे।

ज्ञापन की शर्तें:–

- प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्ष को आयोजित अनुसंधान गतिविधियों के दौरान प्राप्त गोपनीय जानकारी की गोपनीयता का पालन समझौता ज्ञापन की क्रियान्वयन अवधि के दौरान करने का वचन देगा या इस समझौता ज्ञापन में उल्लिखित सहमति के अनुसार गोपनीयता को बनाए रखेगा।
- समझौता ज्ञापन के प्रयोजन के लिए, गोपनीय जानकारी से अभिप्रेत है, कोई भी जानकारी चाहे पहले या बाद में पक्षकार द्वारा खुलासा, जो इस समझौता ज्ञापन में शामिल है :– तकनीकी, व्यावार, विपणन, नीति, जानकारी, योजन परियोजना प्रबंधन तथा किसी भी रुप में अन्य जानकारी, डेटा और/समाधान।
- एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को इस समझौता ज्ञापन की ज्ञात या प्राप्त सभी जानकारी को गोपनीय रखा जायेगा और जो किसी तीसरे पक्ष को प्रकट नही की जायेगी।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies,
Sanchi, Raisen (M. P.)

कानूनी प्रवर्तनीयताः—

इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से दोनों पक्षकार आपस में कानूनी संबंध स्थापित करने के लिए सहमत है और इस समझौता ज्ञापन में वर्णित प्राविधानों का उल्लंघन, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के उल्लंघन के समान होगा।

विवादों का निपटारा :—

संबंधित पक्षों के मध्य कोई मतभेद या विवाद जो इस समझौता ज्ञापन के प्रावधान की व्याख्या तथा/ या लागू होने से संबंधित है, प्रथमतः आपसी परामर्श के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढ़ग से सुलझाया जाय तथा/ या पक्षकरों के मध्य बातचीत के माध्यम से। जिन्हें पक्षकारों द्वारा पूर्ण रुप तथा संतोषजनक ढंग से हल या सुलझाया नहीं जा सकता है, दोनों पक्षों के उच्च अधिकारियों को संदर्भित किया जायेगा। दोनों पक्षकारों के उच्चाधिकारियों का यह संयुक्त उत्तरदायित्व होगा कि वह स्वतंत्रता, आपसी सम्मान की भावना से विवाद को संयुक्त रुप से हल करेंगे।

परिशोधन, बदलाव व संशोधन :—

कोई भी पक्षकार लिखित रुप में इस समझौता ज्ञापन का परिशोधन, बदलाव व संशोधन करने अनुरोध कर सकता है। इस प्रकार के किसी भी परिशोधन, बदलाव व संशोधन पर सहमति पक्षकारों द्वारा लिखित रुप में होगी और इस समझौता ज्ञापन का अंग होगा। ऐसा परिशोधन, बदलाव व संशोधन उस तिथि से लागू होगा जो पक्षकारों द्वारा निर्धारित की जायेगी।

पर्यवेक्षण का आयोजन :—

प्रत्येक पक्षकार राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, जनादेश या सार्वजनिक स्वास्थ्य का अधिकार सुरक्षित रखता है, ताकि इस समझौता ज्ञापन के कियान्वयन को अस्थायी रुप से पूर्ण या आंशिक रुप से निलंबित किया जा सके। निलंबन दूसरे पक्ष को सूचना दिये जाने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू होगा। कोई अन्य घटना, जो इस समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन को

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies,
Sanchi, Raisen (M. P.)

बाधित या प्रतिबंधित करती हो, पक्षकार ऐसी कार्यवाही पर अपने सर्वोत्तम प्रयास करने के लिए सहमत है, जो ऐसी परिस्थिति को दूर करने के लिए आवश्यक एवं न्यायसंगत हो।

संबंधित पक्षकार इस समझौता ज्ञापन के तहत संकाय एवं छात्रों पर सहयोगी गतिविधियों पर व्यय के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।

<u>योजना :–</u>

- अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान, संस्कृति विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, साँची, रायसेन, मध्य प्रदेश के मध्य नवीन डिजीटल उपकरण के माध्यम से शिक्षण, अध्ययन शोध, तुलनात्मक अध्ययन इत्यादि के लिए सहायता मिलेगी।
- यह कार्यक्रम दोनों संस्थानो के नियमित छात्रों के लिए उपलब्ध होगा।
- दोनों पक्षकार शोध के लिए बौद्ध, जैन एवं हिन्दू धर्म से संबंधित भाषा साहित्य, भाषा प्रौद्योगिकी, साहित्य और इतिहास, अनुवाद प्रौद्योगिकी, तुलनात्मक अध्ययन, प्रवासी साहित्य को अंतःविषय अध्ययन के रुप में प्रयोग करेंगे।
- परिवर्तनात्मक परियोजना दोनों पक्षकारों के सहयोग से की जायेगी।

  सभी शैक्षणिक, अध्ययन व शोध अदान–प्रदान कार्यक्रम भविष्य में भी दोनों पक्षकारों द्वारा जारी रहेगें।

- यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तिथि/वर्ष से पांच वर्ष के लिए होगा। शैक्षणिक व शोध संबंधी गतिविधियॉ पांच वर्ष के लिए होंगी यानि वर्ष 2022 से 2027 तक।
- यह समझौता ज्ञापन दोनों पक्षकारों की स्वयं की इच्छा से, दोनों की आपसी सहमति से बिना किसी दवाब व प्रभाव के दोनों पक्षकारों एवं उनके गवाहनों की उपस्थिति में किया गया है।

Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies,
Sanchi, Raisen (M. P.)

शील समाधि प्रज्ञा

- यदि दोनों पक्षकारों में से कोई भी पक्षकार यह समझौता ज्ञापन दो समान प्रतियों में तैयार किया गया है, प्रत्येक पक्षकार संबंधित प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित एक मूल प्रति धारण करेंगे।

यह समझौते का दस्तावेज आज दिनांक 28 जुलाई, 2022 को निम्न गवाहों की उपस्थिति में संपादित किया गया।

अन्तर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान,
संस्कृति विभाग, उ0प्र0
के लिए और की ओर से

28/7/22
निदेशक
अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान,
संस्कृति विभाग, उ.प्र.

साँची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन
विश्वविद्यालय, साँची, रायसेन
के लिए और की ओर से

28/07/22
कुलसचिव
Registrar
Sanchi University of Buddhist-Indic Studies
साँची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन
विश्वविद्यालय, साँची, जिला रायसेन, म.प्र.

गवाह :
01. 28/07/2022

गवाह :
01. 28/07/2022